

**ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION
DIRECTORATE OF SHIPPING SERVICES**

NOTICE

The Draft Recruitment Rule for the post of **Marine Engineer** is published hereunder as well as uploaded in the A&N Administration Portal www.andaman.gov.in for information of all concerned. The stakeholders may submit their claims/objections, if any addressed to the Director, Directorate of Shipping Services, Port Blair within 30 (thirty) days from the date of publishing of this notice. Thereafter, no claims/objections will be entertained.

Assistant Director (Admn)

F.No.10-348/MDY/DSS/2023/ 1280

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION

जहाज़रानी सेवा निदेशालय

DIRECTORATE OF SHIPPING SERVICES

Sri Vijaya Puram, dated the 07th August, 2025

To

1. The Chief Editor, The Daily Telegrams, Port Blair with request to publish the above Notice alongwith the enclosed Draft Notification and Recruitment Rule (In English & Hindi Newspaper) on 08.08.2025 and 09.08.2025.
2. The News Editor, Pradeshik Samachar, All India Radio, Port Blair with the request to include the contents of the Notice in the Pradeshik Samachar on 08.08.2025 and 09.08.2025.
3. The Station Director, Doordarshan Kendra, Port Blair with the request to include the contents of Notice in Dweep Darpan on 08.08.2025 and 09.08.2025.
4. The Executive Officer, SOVTECH, DBRAIT Campus, Dollygunj, Port Blair with the request to upload the enclosed Draft Notification and Recruitment Rule (In English & Hindi in Hard & Soft Copy) in the A&N Administration website www.andaman.gov.in on 08.08.2025.
- ✓ 5. The Assistant Manager (IT), DSS for information and necessary action.

Copy also forwarded to :

1. PA to DSS for kind information of DSS.
2. PA to DDSS for kind information of DDSS.
3. The Deputy Secretary (Shipping), A&N Administration, Port Blair.


Assistant Director (Admn)
06/08/25

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
नौवहन सेवा निदेशालय

सूचना

मरीन इंजीनियर के पद के लिए मसौदा भर्ती नियम नीचे प्रकाशित किया गया हैं तथा सभी संबंधितों की जानकारी हेतु अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के वेबसाइट www.andaman.gov.in पर भी अपलोड कर दिए गए हैं । यदि कोई दावे/आपत्तियाँ हों तो हितधारक इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर निदेशक, नौवहन सेवा निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर को भेज सकते हैं । उसके बाद किसी भी दावे/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

सहायक निदेशक (प्रशासन)

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/ SECRETARIAT

श्री विजयपुरम, दिनांक 12 फरवरी, 2025

अधिसूचना

सं...../फा.सं.42-517/2021-टीआर(1), भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक प्रावधान के साथ पठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 21 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या यू-14939/7/83-ए.एन.एल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पद के संबंध में भर्ती नियमावली को अधिसूचित करने के बारे में जारी पिछले सभी अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए उप राज्यपाल(प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्वारा नौवहन सेवा निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की स्थापना में धारित **मरीन इंजीनियर** के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात;

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ :-

(i) इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन (नौवहन सेवा निदेशालय की स्थापना में **मरीन इंजीनियर**) पद की भर्ती नियमावली, 2025 कहा जाएगा।

(ii) यह नियमावली इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान:-

उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मेट्रिक्स में वेतन स्तर वही होंगे जो इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूचियों के पैरा 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यताएँ :-

उक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएँ तथा अन्य बातें उक्त अनुसूची के पैरा 5 से 13 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

4. अयोग्यताएँ :-

कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसने:-

क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो, जिसका पति/पत्नी जीवित है,
या

ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो।

परंतु उप राज्यपाल(प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, को यह सन्तुष्टि हो जाने पर कि ऐसी शादी उस व्यक्ति और उस शादी के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।

5. ढील देने की शक्ति:-

जहाँ उप राज्यपाल(प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की राय में किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो तो वे ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

6. व्यावृत्ति:-

इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा संबंधी छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

एडमिरल डी. के. जोशी

पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अवकाश प्राप्त)

उप राज्यपाल

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

(एस. पांडिअम्माल)

उप सचिव (नौवहन)

अनुसूची

नौवहन सेवा निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की स्थापना में मरीन इंजीनियर के पद के लिए भर्ती नियमावली

1.	पदनाम	मरीन इंजीनियर
2.	पद की संख्या	01*(2025) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवाएँ वर्ग 'क' (राजपत्रित)
4.	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	वेतन मेट्रिक्स में स्तर-11 रू. 67700-208700

5.	चयन पद या गैर चयनपद	चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।) नोट : आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित तिथि के अनुसार होगी।
7.	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएँ	आवश्यक: i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम.टेक.(मरीन इंजीनियरिंग)/एम.टेक (मैकेनिकल इंजीनियरिंग)। या ii. बी.ई. (मैकेनिकल इंजीनियरिंग)/बी.ई. (मरीन इंजीनियरिंग) के साथ एम.ओ.टी. द्वितीय श्रेणी इंजीनियर सक्षमता प्रमाणपत्र सहित एन.सी.वी./एफ.जी. जलयान पर 03 साल की समुद्री सेवा का अनुभव। नोट-1: संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर, अन्यथा योग्य उम्मीदवारों के मामले में आवश्यक योग्यताएं शिथिल की जा सकती है। नोट-2: संघ लोक सेवा आयोग की राय में यदि चयन के किसी चरण में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन वर्गों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होंगे तो आयोग अपने विवेक से अनुभव संबंधी योग्यताओं में छूट दे सकता है।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगे?	नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कुछ हो।	2(दो) वर्ष। 'सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम पर कम से कम (02) दो सप्ताह की अवधि का पूर्व अपेक्षित पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना आवश्यक होगा।'

10.	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11.	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण किया जान है।	<p><u>पदोन्नति</u> वेतन स्तर 7 (रु.44900-142400) में सहायक मरीन इंजीनियर के पद पर 12 वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p><u>नोट:</u> जहाँ अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर लेने वाले कनिष्ठों को पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे आवश्यक पात्रता सेवा की अवधि का आधे से अधिक हिस्सा या दो वर्षों में से जो भी कम हो, पूरा कर चुके हों और उन्होंने अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति पाने के लिए अपने उन कनिष्ठों के साथ सफलतापूर्वक परिवीक्षा अवधि पूरी की है, साथ ही अपने कनिष्ठों के साथ आवश्यक पात्रता सेवा भी पहले पूरी कर चुके हों।</p> <p><u>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)</u> केन्द्र/राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों/स्वायत्त संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी जो; (क) i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करता हो; या ii) वेतन स्तर 10 (रु. 56100-177500) या समकक्ष पद में नियमित आधार पर इस पद पर नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो। या (iii) वेतन स्तर 9 (रु. 53100-167800) या समकक्ष पद में 7 वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो। या (iv) वेतन स्तर 8 (रु. 47600-151100) या समकक्ष पद में 8 वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो, तथा ख) पैरा 8 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव रखता हो।</p> <p>(उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य बाह्य-संवर्ग पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होना</p>

		चाहिए। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है?	<p>वर्ग 'क' पद के लिए विभागीय पदोन्नति समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन - सदस्य 3. सचिव (नौवहन), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन- सदस्य <p>वर्ग 'क' पद के लिए विभागीय स्थायीकरण समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मुख्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन - अध्यक्ष 2. सचिव (नौवहन), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन- सदस्य 3. सचिव (कार्मिक), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन- सदस्य
13.	परिस्थितियाँ जिसमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	किसी अधिकारी को पदोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है।

अनुलग्नक

मरीन इंजीनियर के पद के लिए कर्तव्य एवं जिम्मेदारियाँ

1. प्रशासन एवं अन्य सरकारी संगठनों के स्वामित्व वाले सभी जलयानों का रखरखाव एवं मरम्मत करना।
2. मुख्य इंजन और उसके सहायक उपकरणों का वार्षिक सर्वेक्षण और मरम्मत करना।
3. नौवहन सेवाओं के उप निदेशक द्वारा अपेक्षित अनुसार जलयानों/मोटर लॉन्चेस आदि का आवधिक हल सर्वेक्षण/मरम्मत/रखरखाव करना।
4. मरीन विभाग के अधीनस्थ ड्राईडॉक और स्लिपवे का रखरखाव और संचालन करना।
5. समस्त भण्डारों की खरीद, निर्गमन, रखरखाव एवं अनुरक्षण करना।
6. मरीन विभाग के सभी कर्मशालाओं तथा जलयान निर्माण यार्ड आदि का रखरखाव और संचालन करना।
7. जहाजों और जलयानों, विशेषकर इंजन और मशीनरी संबंधी खरीद के लिए नौवहन सेवाओं के निदेशक के तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करना।
8. मरीन डॉकयार्ड स्थापना का प्रबंधन करना।
9. मरीन कार्यालय के कर्मचारियों को कार्यों का आबंटन एवं नियंत्रण करना।

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/SECRETARIAT

Sri Vijaya Puram, dated the 12th February, 2025

NOTIFICATION

No...../F.No. 42-517/2021-TR(1), In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with the Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. U-14939/7/83-ANL dated 21st February, 1985 and in supersession of all previous Notifications notifying the recruitment rules in respect of the post, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Marine Engineer** borne in the Establishment of the Directorate of Shipping Services, Andaman and Nicobar Administration, namely:-

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:

- i. These Rules may be called the Andaman and Nicobar Administration (Marine Engineer in the establishment of Directorate of Shipping Services), Recruitment Rules, 2025.
- ii. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. NUMBER OF POST, CLASSIFICATION AND PAY MATRIX IN THE PAY LEVEL:

The number of post, its classification and pay level in the pay matrix attached thereto shall be specified in paras 2 to 4 of the Schedules annexed hereto.

3. METHOD OF RECRUITMENT, AGE LIMIT & QUALIFICATION ETC:

The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in para 5 to 13 of the said Schedule.

4. DISQUALIFICATION:

No person.

- a. Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- b. Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **POWER TO RELAX:**

Where the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may be order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the Provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **SAVING:**

Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concession required to be provided for candidates belonging to Scheduled Caste, Schedules Tribe and other specified categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Admiral D. K. Joshi

PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM (Retd.)

Lieutenant Governor,

Andaman & Nicobar

Islands

By order and in the name of Lieutenant Governor,

(S. Pandiammmal)

Deputy Secretary (Shipping)

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF MARINE ENGINEER IN THE
ESTABLISHMENT OF DIRECTORATE OF SHIPPING SERVICES,
A & N ADMINISTRATION

1.	Name of the post	Marine Engineer
2.	No. of post	01* (2025) * Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification	General Central Service Group 'A' (Gazetted)
4.	Level in the pay matrix	Pay Matrix Level - 11 ₹ 67700-208700
5.	Whether selection post or Non-Selection post	Selection
6.	Age limit for direct recruitment.	Not exceeding 40 years (Relaxable for Government Servants upto 05 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the UPSC.

7.	<p>Educational Qualification required for direct recruits.</p>	<p>and Essential :</p> <p>i. M. Tech (Marine Engineering) / M. Tech (Mechanical Engineering) from a recognized University / Institute.</p> <p>OR</p> <p>ii. BE (Mechanical Engineering) / BE (Marine Engineering) with MOT 2nd Class Engineer Certificate of Competency with 03 years of Sea Service on a NCV / FG Vessels.</p> <p>Note-1 : Qualifications are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note-2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient numbers of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes?	No
9.	Period of probation, if any	<p>2 (Two) years</p> <p><i>'Direct recruits would be required to successfully complete International Safety Management (ISM) course of at least (02) two weeks duration from a recognized institute a pre-requisite courses for completion of probation period.'</i></p>
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to filled by various methods.	Promotion, failing which by deputation (including short term contract), failing both by Direct Recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion deputation/transfer grades from which promotion/deputation transfer to be made.	<p>Promotion</p> <p>Assistant Marine Engineer in the Pay Level 7 (₹ 44900-142400) with 12 years regular service in the grade.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would</p>

	<p>also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.</p> <p><u>Deputation (Including Short-term contract)</u> Officers under the Central/ State Governments /Union Territories/ Autonomous Organizations/Public Sector Undertakings.</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; OR (ii) With 5 years regular service rendered after appointment to the post on regular basis in the Pay Level 10 (₹ 56100-177500) or equivalent OR (iii) With 7 years regular service in posts in the Pay Level 9 (₹ 53100-167800) or equivalent OR (iv) With 8 years regular service in posts in the Pay Level 8 (₹ 47600-151100) or equivalent, and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under para 8.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications)</p>
12. If DPC exists, what is its composition	<p><u>Group 'A' DPC (for Promotion)</u> 1. Chairman/Member, UPSC - Chairman 2. Chief Secretary, Andaman & Nicobar Administration - Member 3. Secretary (Shipping), Andaman & Nicobar Administration - Member</p>

		<u>Group 'A' DCC (for Confirmation)</u> 1. Chief Secretary, Andaman & Nicobar Administration - Chairman 2. Secretary (Shipping), Andaman & Nicobar Administration - Member 3. Secretary (Personnel), Andaman & Nicobar Administration - Member
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Consultation with UPSC is necessary while appointing an officer on Promotion/Direct Recruitment.

ANNEXURE

DUTIES AND RESPONSIBILITIES FOR THE POST OF MARINE ENGINEER

1. Maintenance and repair of all water crafts owned by Administration and other Govt. Organization.
2. Carry out annual survey and repairs of main engines and its auxiliaries.
3. Carry out periodical hull survey/repair/maintenance of vessels/motor launches etc. as requisitioned by the Deputy Director of Shipping Services.
4. Maintenance and running of drydock and slipway under the Marine Department.
5. Purchase, issue, maintenance and according of all stores.
6. Maintenance and running of all Marine Department Workshop and boat building yard etc.
7. Function as the Technical Advisor to the Director of Shipping Services with regard to procurement of ships and water crafts specially with regard to the engine side and machineries.
8. Management of Marine Dockyard Establishment.
9. Allocation of duties and control of the staff of Marine Office.
